



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाइडलाईन/2022-23

जयपुर दिनांक :

12 SEP 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान के तहत वार्षिक कार्य योजना (2022-23) तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिये जाने की घोषणा की गयी है। इसी प्रकार बारां जिले में निवासरत "सहरिया एवं खैरुआ" तथा उदयपुर जिले में निवासरत "कथौडी" जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने हेतु बजट घोषणा की गई है। संदर्भित विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30.05.2022 द्वारा उक्त दोनों बजट घोषणाओं की पालना में पूर्णतः राज्य मद से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान के दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची निम्नानुसार है :-

(अ) सामुदायिक प्रकृति के कार्य :-

1. विद्यालय भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, अन्य राजकीय भवन निर्माण।
2. चारदीवारी निर्माण।
3. चारागाह फेन्सिंग।
4. स्टॉर्म/ग्रे-वाटर नालों की सफाई।
5. नहरों एवं नालियों में डी-सिल्टिंग।
6. पंचायत/पंचायत समिति परिसर में सीसी ब्लॉक/खरंजा,
7. सड़क के किनारे झाड़ियों की कटिंग एवं पटरी निर्माण।
8. पानी की टंकी (जी.एल.आर) निर्माण।
9. ग्राम पंचायत द्वारा संचालित या पशुपालन विभाग द्वारा अनुदानित एवं पंजीकृत गौशालाओं हेतु शेड निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण के कार्य, पशु खेली (चारा एवं पानी) निर्माण कार्य।
10. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या राजकीय विद्यालय में सफाई एवं पोषण वाटिका संबंधी कार्य।
11. गाँव में चबूतरा निर्माण कार्य।
12. ग्राम पंचायत क्षेत्र की महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में निर्मित ऐसी सार्वजनिक परिसम्पत्तियाँ, जो कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अनुमत नहीं हैं, के मरम्मत एवं रखरखाव (Repair & Maintenance) के कार्य।
13. हेल्पर-हैंडपम्प मरम्मत हेतु।

(ब) व्यक्तिगत लाभ से सम्बन्धित कार्य :-

1. आवासीय क्षेत्र में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सिस्टम निर्माण।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के अनुमत कार्यों में लघु एवं सीमांत कृषकों से सम्बन्धित कार्य।

उक्त वर्णित अनुमत कार्यों की सूची अनुसार कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन श्रमिकों को नरेगा के अनुमत/संचालित कार्यों पर नियोजित किया जा सकेगा।

वर्ष 2022-23 के लिए उक्त हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने के संबंध में निम्न समय सीमा अनुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे :-

क्र. सं.	कार्यवाही	समयावधि
1	ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमत कार्यों का चयन कर ग्राम सभा में अनुमोदन।	2 अक्टूबर, 2022
2	ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना 2022-23 को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करना।	10 अक्टूबर, 2022 तक
3	ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का पंचायत समिति की साधारण सभा द्वारा अनुमोदन।	14 अक्टूबर, 2022 तक
4	ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य योजना का निर्धारित प्रपत्रों में जिला कार्यक्रम समन्वयक/ अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण।	17 अक्टूबर, 2022 तक
5	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला परिषद में वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत किया जाना व जिला परिषद की साधारण सभा से अनुमोदन।	21 अक्टूबर, 2022 तक
6	वार्षिक कार्य योजना का विभिन्न स्तरों से अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायतवार वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाईन एन्ट्री ई-पंचायत पर पूर्ण किया जाना।	28 अक्टूबर, 2022 तक

वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जावे :-

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विगत वर्षों में सर्वाधिक 100 दिवस का रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या के आधार पर वर्ष 2022-23 हेतु योजना में संभावित रोजगार सृजन के आकलन को दोगुना करते हुए कार्यों के प्रस्ताव तैयार किये जाये। अर्थात् ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजनाओं की सूची रोजगार की अनुमानित मांग से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए।
2. कार्यों के चयन एवं उनकी महत्वता पर ग्राम सभा में चर्चा की जावे।
3. ग्रामीण अवसंरचना निर्माण हेतु योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में सामग्री मद की राशि (मेट, कारीगर सहित) अन्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं, निजी आय एवं जनसहयोग इत्यादि से कर्न्वजेन्स किया जा सकता है। **इस योजना से सामग्री सम्बन्धित राशि देय नहीं होगी।** अतः कर्न्वजेन्स के प्रस्ताव ग्राम सभा में विचारार्थ रखकर वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जावें।
4. वार्षिक कार्य योजना तैयार करने संबंधी निर्धारित प्रारूप प्रपत्र-1 पर संलग्न है। उक्त प्रारूप में ग्राम पंचायतवार, पंचायत समितिवार एवं जिलेवार बुकलेट तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावे। इस प्रपत्र में सभी कॉलम पूर्ण एवं सही प्रकार से भरा जाना भी सुनिश्चित करावें।

